दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 01 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 181

सरकार ने सात करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के बीच करीब 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। मोदी सरकार ने इन किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज के भुगतान की डेट दो महीने बढ़ा दी है।

बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालिक फसली ऋण के भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं। गौरतलब है अगर किसान 31 मार्च या फिर समय

पर इस कर्ज का बैंक को भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 7 फीसदी ब्याज देना होता है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि कोरोना महामारी रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में कई किसान अपने बकाया कर्ज के भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक जाने में सक्षम नहीं हैं। लॉकडाउन के चलते कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री और उनका भुगतान लेने में कठिनाई हो रही है। इसलिए इन्हें छूट प्रदान की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज अदायगी की ब्याज दर, केसीसी लोन की रिपेमेंट पर 31 मई तक सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होगा बता दें खेती के लिए केसीसी पर लिए गए तीन लाख रुपये तक के लोन की ब्याजदर वैसे तो 9 फीसदी है, लेकिन सरकार इसमें 2 परसेंट की सब्सिडी देती है। यानी किसानों को 7 फीसदी ब्याज ही देना पड़ता है। अगर किसान समय पर कर्ज लौटा देता है तो उसे 3 फीसदी और छूट मिल जाती है। इस तरह इसकी दर जिम्मेदार किसानों के लिए मात्र 4 फीसदी रह जाती है। कृषिमंत्री के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियों, उर्वरकों की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों आदि में पहले ही छूट दी गई है। फसल कटाई व बुआई और बागवानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही को भी छूट दी गई है।

सरकार ने मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपये की वृद्धि की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ करीबी सहयोग में कई कदम उठाए हैं।

इसी क्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई है। मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे सीधे तौर पर एससी, एसटी और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्य गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ-साथ जिला अधिकारियों के भी करीबी परामर्श एवं मार्गदर्शन आवश्यक होगा कि लॉकडाउन की अवधि में दिशानिर्देशों का उल्लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए।

मजदूरी और सामग्री बकाये का निपटान ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है। इसी क्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस सप्ताह 4,431 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि चालू वित्त वर्ष की इन देनदारियों को पूरा किया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए पहली किश्त 15 अप्रैल, 2020 से पहले जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को 721 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

एसईजेड में आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली 280 से अधिक इकाइयां संचालित

नईदिल्ली (आरएनएस)। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत से निर्यात में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह भारत के कुल निर्यात में लगभग 18 प्रतिशत योगदान करता है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एसईजेड से निर्यात 110 अरब अमेरिकी डॉलर को पहले ही पार कर चुका है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन के वर्तमान परिस्थिति में औषधि अथवा चिकित्सकीय उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण करने वाली इकाइयां परिचालन में हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न होने पाए। एसईजेड में औषधि एवं अस्पताल उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली 280 से से अधिक इकाइयां लगातार उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा 1,900 से अधिक आईटी/ आईटीईएस इकाइयों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने में समर्थ बनाने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। एसईजेड के विकास आयुक्तों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वहां काम करने वाले डेवलपरों/ सह-डेवलपरों/ इकाइयों को कोई कठिनाई न हो। यह भी कहा गया है कि आईटी/ आईटीईएस इकाइयों के मामले में यदि क्यूपीआर, एपीआर, सॉफ्टेक्स आदि 31 मार्च, 2020 तक दाखिल करने में विलंब जैसे मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

हिन्दपीढ़ी में पकड़ी गयी विदेशी महिला निकली कोरोना पॉजिटिव

» झारखंड में पहला केस कन्फर्म

रांची (आरएनएस)। झारखंड में कोरोना का पहला केस कन्फर्म हुआ है. राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 30 मार्च को रांची के हिंदपीढ़ी के मस्जिद से 24 लोगों को निकाला गया था. उनमें से एक का कोरोना टेस्ट पोजिटिव पाया गया है. बताया जाता है जिसका कोरोना टेस्ट पोजिटिव पाया गया है, वह महिला है. महिला मलेशिया की रहने वाली है. सभी जमात पर आये थे और हिंदपीढ़ी के एक मस्जिद में रह रहे थे. एक सूचना के बाद प्रशासन ने सभी को वहां से निकाला था. सभी को रिम्स ले जाया गया था. जहां पर सभी का कोरोना टेस्ट किया गया. मंगलवार को रिजल्ट आया।

कोरोना को रोकने घर में बने मॉस्क को अनुसंधान की स्वीकृति के बाद जारी की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने घर में बने मास्कों पर एक विस्तृत नियमावली सार्स-सीओवी-2 कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए मास्क जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संदर्भ देते हुए नियमावली कहती है कि मास्क उन्हीं लोगों पर प्रभावी हैं जो नियमित रूप से अल्कोहल आधारित हैंड रब या साबुन और पानी से हाथ साफ करते हैं। यदि आप एक मास्क पहनते हैं, तो आपको इसके इस्तेमाल और इसके उचित निस्तारण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विश्लेषण से पता चलता है कि यदि 50 प्रतिशत आबादी मास्क पहनती है तो सिर्फ 50 प्रतिशत आबादी को ही वायरस से संक्रमण होगा। यदि 80 प्रतिश आबादी मास्क पहनती है तो इस महामारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सकती है। तो मास्क को क्यों पहना जाए? इस पर नियमावली कहती है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने पर कोविड-19 वायरस आसानी से फैलता है। वायरस को ले जाने वाली बूंदें इसे तेजी से फैलाती हैं और हवा में जीवित रहते हुए यह आखिरकार विभिन्न सतहों पर जाता रहता है। कोविड-19 को फैलाने वाला वायरस सार्स-कोव-2 किसी ठोस या तरल सतह (एयरोसोल) पर तीन घंटे तक और प्लास्टिक व स्टेनलेस स्टील पर तीन दिन तक जीवित रहता है।

कनिका कपूर की सेहत ठीक नहीं होने की खबरें अफवाहः डॉ. धीमान

» सामान्य तरह से कर रहीं भोजन का सेवन

लखनऊ (आरएनएस)। राजधानी में एसपीजीआई के कोरोना वार्ड में भर्ती बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर की सेहत स्थिर है और वह सामान्य रूप से भोजन ले रही हैं। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. आरके धीमान की ओर से मंगलवार को उन खबरों का खण्डन किया गया, जिसमें कनिका की हालत ठीक नहीं होने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें झूठी हैं, ये महज अफवाह है । कनिका कपूर की सेहत सामान्य है और चिन्ता की कोई बात नहीं है। इससे पहले कनिका कपूर की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद चिकिसकों ने उनकी दवाओं और खानपान में कुछ बदलाव किया है।

कोरोना वार्ड में भर्ती अन्य तीन संदिग्धों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इन्हें छट्टी दे दी गई है। सोमवार को तीन और संदिग्ध भर्ती हुए हैं। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित कनिका कपूर की पिछली चार रिपोर्ट पॉजिटिव आई थीं। इसके बाद पांचवी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद ही कई तरह अफवाहें सोशल मीडिया में आने लगी।

समाप्त हो चुकी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की वैधता अब 30 जून तक

» फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज शामिल

नईदिल्ली (आरएनएस)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है, जिनकी वैधता अवधि 1 फरवरी से समाप्त हो चुकी है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाना चाहिए। देश में लॉकडाउन और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण लोगों को विभिन्न वाहन दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया है।

केंद्र ने मनरेगा मजदूरी के जारी किये 4,431 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को मनरेगा मजदूरी एवं सामग्री बकाये मद में इस सप्ताह 4,431 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ करीबी सहयोग में कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की

मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई है। मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे सीधे तौर पर एससी, एसटी और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्य गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ-साथ जिला अधिकारियों के भी करीबी परामर्श एवं मार्गदर्शन आवश्यक होगा कि लॉकडाउन की अवधि में दिशानिर्देशों का उल्लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए। मजदूरी और सामग्री बकाये का निपटान ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है। इसी क्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस सप्ताह 4,431 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि चालू वित्त वर्ष की इन देनदारियों को पूरा किया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए पहली किश्त 15 अप्रैल, 2020 से पहले जारी की जाएगी।

अमेरिका ने ईरान पर लगाए 4 न्यूक्लियर प्रतिबंधों को 60 और दिन के लिए बढ़ाया

वॉशिंगटन। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगले 60 दिन तक 4 प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही तेहरान के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल होगा। अमेरिका ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील रद्द करके प्रतिबंध लगा दिए थे। अब अमेरिका ईरान पर इस बात का भी दबाव बना रहा है कि वह अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल संबंधी गतिविधियां बंद कर दे।

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने अपने बयान में बताया है, अमेरिका ईरान पर 60 दिनों के लिए 4 प्रतिबंधों को जारी

रखेगा। हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे और किसी भी वक्त इन प्रतिबंधों को अजटस्ट कर सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, ये प्रतिबंध ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आधारित हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का इस फैसले के बाद अरक हेवी-वॉटर रीसर्च रिऐक्टर, बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तेहरान रीसर्च रिऐक्टर और दूसरे न्यूक्लियर प्रॉजेक्ट्स में नॉन-प्रोलिफरेशन के काम को जारी रखा जा सकेगा। बयान में कहा गया है, हम अपनी डिप्लोमैटिक और इकनॉमिक हथियारों के जरिए ईरान की प्रोलिफरेशन ऐक्टिविटीज को रोकना जारी रखेंगे। हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखेंगे और कभी भी ये प्रतिबंध अजस्ट कर सकते हैं।

मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मियों को नहीं मिलेगा सेवा विस्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा और वे उसी दिन सेवामुक्त होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 फैलने के मद्देनजर सरकार की ओर से घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो बुनियादी नियम 56 के तहत 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहे हैं एवं सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे उसी दिन केंद्र सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारी 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होंगे, चाहे वे घर से काम कर रहे हों या कार्यालय से ही कार्य कर रहे हों।

» कोरोना युद्ध में रेलवे की मेगा योजना

अब आइसोलेशन वार्ड के लिए तैयार होंगे 20 हजार ट्रेन कोच में 3.2 लाख बेड

नई दिल्ली (आरएनएस)। घातक चीनी वायरस (कोरोना) के खिलाफ जारी राष्ट्रव्यापी जंग में ट्रेनों के कोचों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का मेगा प्लान रेलवे ने सार्वजनिक किया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेलवे 20000 कोचों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में संशोधित करने के लिए तैयार है जिसमें 3.2 लाख संभव बेड तक समायोजित कर सकते हैं। कोविड-19 रोगियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होने के लिए ये कोच तैयार किए जा रहे हैं।

शुरुआत में 5000 कोचों में 80000 बेड तक के लिए तैयार किया जा रहा था। भारतीय रेलवे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि देश में संगरोध सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 20000 डिब्बों को आइसोलेशन डिब्बों में बदलने के लिए तैयार किया जाएगा। इस संबंध में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के चिकित्सा विभाग और आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परामर्श किया गया। पाँच ज़ोनल रेलवे ने संगरोधी डिब्बों के लिए पहले से ही प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। ये संशोधित 20000 कोच अलगाव की जरूरतों के लिए 3.2 लाख संभावित बेड तक समायोजित कर सकते हैं। 5000 डिब्बों के संशोधन पर काम, जिन्हें शुरू में संगरोध / अलगाव कोच में परिवर्तित किया जाना है। इन 5000 कोचों में 80000 बेड तक की क्षमता होगी। रेलवे ने कहा कि एक कोच में 16 बेड होने की उम्मीद है। पहले कहा जा रहा था कि एक कोच में 10 बेड लग सकेंगे।

केवल गैर-एसी आईसीएफ स्लीपर कोच को संगरोध / आइसोलेशन कोच में रूपांतरण के लिए उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। चार शौचालयों में से एक को स्नान कक्ष में बदला जा रहा है।

इसे बकेट, मग और सोप डिस्पेंसर से लैस किया जाएगा। वॉशबेसिन में लिफ्ट प्रकार के हैंडल के साथ नल प्रदान किए जाएंगे। ऐसे नल उचित ऊंचाई लगाए जा रहे हैं, ताकि बाल्टी को भरा जा सके। स्नान कक्ष के पास पहला केबिन दो अस्पताल / प्लास्टिक के पर्दे के साथ गलियारे में प्रदान किया जाएगा, ताकि पूरे आठ बर्थ केबिन में प्रवेश और निकास से पर्दा उठाया जा सके। इस केबिन का उपयोग स्टोर / पैरामेडिक्स क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। चिकित्सा विभाग द्वारा दो ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

लखनऊ में छिपे मिले 24 विदेशी नागरिक, डीएम ने मारा छापा

» निजामुद्दीन मरकज में हुए थे शामिल » पुलिस और प्रशासन की संयुक्त छापेमारी से हड़कंप

लखनऊ (आरएनएस)। राजधानी में मंगलवार को एक मस्जिद में कई विदेशी नागरिकों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय और एसीपी ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक, इस मस्जिद में बीते 13 मार्च से कई विदेशी नागरिकों के रुके होने की जानकारी मिली थी।

मस्जिद में मौजूद सभी लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है और मस्जिद को ताला लगाकर सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, खुफिया और एलआईयू की सूचना के बाद पुलिस

और जिला प्रशासन की टीमों ने मस्जिद में छापेमारी की। मस्जिद में पाए गए विदेशी नागरिकों की मेडिकल जांच जारी है। इसके बाद इन सभी को आइसोलेशन में रखा जाएगा। सीएमओ कार्यालय के मुताबिक, राजधानी लखनऊ की अमीनाबाद, काकोरी और आईआईएम रोड स्थित मस्जिदों से 24 विदेशी मिले हैं। इनमें 14 बांग्लादेश और 10 लोग कजाकिस्तान से आए थे। इनमें से तीन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलने पर जांच नमूना लेकर केजीएमयू भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में यूपी के करीब 160 लोग शामिल हुए थे। पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक, जमात में राजधानी लखनऊ के ये लोग शामिल हुए थे, लेकिन अभी इनकी लखनऊ वापसी की पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मरकज में शामिल हुए यूपी के अधिकतर लोग अभी दिल्ली में ही हैं। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एक वीडियो जारी करके जमात में शामिल लोगों से आगे आकर खुद की जांच कराने की अपील की है। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि मस्जिद में रुके हुए लोगों का डाटाबेस तैयार किया गया है, इन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।